कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2015 / 1802–5 / 3008–39 दिनांक : 17 मार्च, 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री (डॉ.) जोगा राम, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 12 मार्च, 2016 को सांय 5.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2016 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन की लॉटरी की पुष्टि एवं अब तक की कार्यवाही की पुष्टि के संबंध में।

प्राधिकरण की अरणा विहार योजना की लॉटरी आज दिनांक 12 मार्च, 2016 को कार्यालय परिसर में निकाली गयी है। निकाली गयी लॉटरी की पुष्टि एवं इस संबंध में अब तक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अरणा विहार योजना की आज दिनांक 12 मार्च, 2016 को निकाली गयी लॉटरी की पुष्टि करने तथा इस संबंध में अब तक की कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिन कर्मचारियों ने आय प्रमाण–पत्र में परिवार के अन्य सदस्यों की आय का उल्लेख नहीं किया है। उनमें यह माना जावेगा कि परिवार में अन्य सदस्यों की आय नहीं है और कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण–पत्र को ही परिवार की आय माना जाकर आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। स्वःअनुप्रमाणित आय प्रमाण–पत्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अरणा विहार आवासीय योजना, झरना विहार आवासीय योजना, मण्डलनाथ आवासीय योजना, विज्ञान नगर आवासीय योजना में भूखण्डों के आकार में कमी / बढोतरी की स्थिति में वास्तविक क्षेत्रफल का ही आवंटन–पत्र जारी किया जायेगा एवं कमी होने पर घटे हुए क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर (आय वर्ग अनुसार निर्धारित दर) के अनुसार ही वास्तविक क्षेत्रफल की देय होगी एवं क्षैत्रफल बढने की स्थिति में भूखण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल जो उपलब्ध हो रहा है, का आवंटन पर क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर (आय वर्ग अनुसार निर्धारित दर) से वसूल कर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 3 :: झरना विहार योजना की आरक्षित दर निर्धारित करने के संबंध में।

प्राधिकरण की प्रस्तावित झरना विहार योजना की लांचिंग की गयी है। अतः झरना विहार योजना की आरक्षित दर निर्धारित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इस हेतु गठित कमेटी (निदेशक–वित्त की अध्यक्षता में) ने रूपये 5,555/– प्रति वर्ग मीटर की सिफारिश की है एवं निर्धारित की है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से झरना विहार योजना की आरक्षित दर 5,555/– रूपये (अखरे पांच हजार पांच सौ पचप्पन रूपये मात्र) प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण से संबंधित क्षैत्र एवं शहर की मुख्य रोडों पर पथ प्रकाश व्यवस्था करना, रखरखाव विद्युत बिल के संबंध में

क्र.सं.	क्षेत्र	कार्य	रख रखाव	विद्युत बिल	प्रारम्भिक रूप में किया जाने वाला कार्य	अनुमानित खर्चा
1.	प्राधिकरण योजना क्षेत्र	प्राधिकरण द्वारा विकसीत की जा रही कोलोनियों में आन्तरिक विद्युतीकरण के साथ साथ पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु रोड़ लाईट वायर मय टाइमर इत्यादि लगवाये जा रहे है। रोशनी हेतु रोड़ लाईट जैसे जैसे आवंटियों द्वारा मकानो का निर्माण करवाया जा रहा है उनके मांग अनुसार रोड़ लाईट व्यवस्था प्रदान की जा रही है।	रख रखाव कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	विद्युत बिल का भुगतान प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।	सम्पूर्ण कोलोनी में लाईट लगाने के स्थान पर आवंटियों द्वारा जैसे जैसे मकानो का निर्माण करवाया जायेगा उसी अनुसार आवंटी के मांग पर लाईट लगवाना उचित रहें।	प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कोलोनियों में आन्तरिक विद्युतीकरण हेतु ली गई प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है।
2.	शहर आबादी क्षेत्र के पास का क्षेत्र	ग्राम पंचायत जिनका सम्पूर्ण क्षेत्र शहरी क्षेत्र (डांगियावास – खेजडली – लोढों की प्याऊ (पाली रोड जीत कॉलेज के पास) – सालावास	रख रखाव कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	विद्युत बिल का भुगतान प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।	जो कोलोनी पूर्ण रूप से विकसीत हो चूकी है। वहां सम्पूर्ण रोड़ लाईट वायर मय टाइमर लगाकर	

		ऑयल डीपो – सालावास ग्राम – बोरानाडा – डी0पी0एस0 सर्कल – चौखा – गोलासनी – सूरसागर चौपड – मण्डलनाथ – नागौर रोड – आंगणवा – बनाड सर्कल – डांगियावास) में आता है तथा उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र में लीज का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है उक्त पंचायतो में पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाना उचित रहेगा। इन ग्राम पंचायतो की कोलोनियों में पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु रोड़ लाईट वायर, टाईमर इत्यादि लगाकर किया जाना उचित रहेगा।			विद्युतीकरण का कार्य किया जाना उचित रहेगा। जो कोलोनी वर्तमान में पूर्ण रूप से विकसीत नहीं हुई है वहां प्रारम्भिक रूप में मुख्य रोड़ एवं सार्वजनिक स्थानों पर लाईट व्यवस्था करना उचित रहेगा।	.
3.	शहर आबादी क्षेत्र से दूर स्थित क्षेत्र	ग्राम पंचायत जो कि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आती है लेकिन ग्राम के भितरी क्षेत्र जहां कि सम्पूर्ण व्यवस्था पंचायत द्वारा ही की जा रही है। उक्त ग्राम पंचायतो में केवल आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक रूप में मुख्य चौक, मुख्य रोड़ तथा सार्वजनिक स्थानों पर पथ प्रकाश व्यवस्था	रख रखाव का कार्य संबंधित पंचायत द्वारा किया जायेगा।	विद्युत बिल का भुगतान संबंधित पंचायत द्वारा वहन किया जायेगा।	प्रारम्भिक रूप में सम्पूर्ण गांवों में लाईट लगवाना सम्भव नहीं है इस अवस्था में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 15 नग लाईट की व्यवस्था की जाना उचित रहेगा।	इन गांवों में लाईट लगाने से पूर्व संबंधित पंचायत से रख रखाव व विद्युत बिल संबंधित पंचायत द्वारा ही वहन किया जायेगा का सहमति पत्र लिया जाना उचित रहेगा।

		किया जाना उचित रहेगा।				
4.	शहर की मुख्य रोड़े	ट्रेफिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा विभिन्न मुख्य रोड़ो की चौड़ाई बढ़ाकर जहां डिवाइडर का निर्माण करवाया जा रहा है। उन स्थानों पर पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु पोल मय लाईट लगाने का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।	रख रखाव का कार्य नगर निगम, जोधपुर द्वारा किया जायेगा।	विद्युत बिल का भुगतान नगर निगम, जोधपुर द्वारा वहन किया जायेगा।	प्राधिकरण द्वारा ट्रेफिक व्यवस्था सुगम बनाने हेतु जिन रोड़ो की चौड़ाई बढाकर डिवाईडर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस प्रकार की रोड़ो पर पोल मय लाईट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था किया जाना उचित रहेंगा।	उक्त स्थानो पर प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली रोड़ की लम्बाई के अनुसार अनुमानित लागत होगी। पूर्व की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के प्रस्ताव संख्या 7 (1) में लिये गये निर्णय एवं आयुक्त, नगर निगम के पत्र कमांक 1517 दिनांक 24 सितम्बर, 2015 के निर्णयानुसार वार्ड संख्या 1 से 65 के भीतर के संपूर्ण क्षेत्र में लगी रोड लाईट का रखरखाव नगर निगम अपने स्तर पर करेगा एवं वार्ड के बाहर प्राधिकरण क्षेत्र में रखरखाव प्राधिकरण अपने स्तर पर करेगा।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर निर्णय लिया गया कि ऊपर वर्णित चारों बिन्दुओं के अनुसार ही आवश्यक कियाक जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 5 :: **विद्युत शाखा के वार्षिक दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले कार्यों की वर्ष 2016–17 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।**

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2016–17 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि (लाखो में)
1	प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण भवन में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये कार्य जैसे की वायरिंग, नये पंखे, लाईट आदि मांग के अनुसार लगाने कार्य।	20.00
2	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानो पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एवं आवश्यतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य।	15.00
3	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार माईक व्यवस्था करने बाबत्।	10.00
4	प्राधिकरण कार्यालय में लगे 250 के.वी.ए. एवं 63 के.वी.ए. जनरेटर की देखरेख व संचालन का कार्य।	5.00
5	प्राधिकरण कार्यालय में लगे लेन कार्य का रख रखाव संबंधित कार्य।	4.00
6	कार्यालय भवनो, बरकतुल्लाह खां स्टेडियम तथा शास्त्री सर्कल पर लगी पानी की मोटरो को रिपेयर करना तथा आवश्यकतानुसार सामान लगाने का कार्य।	4.00
7	ए.सी का कार्य वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत करवाने जाने हेतु।	8.00
8	किराये पर कुलर लगाने एवं ऑफिस के लगे कुलर की मरम्मत एवं देखरेख मय पानी भरनेका खर्चा तथा वाटर कुलर की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये वाटर कुलर लगाने का कार्य।	10.00
9	ऑफिस में लगे इन्वर्टर एवं तथा उनकी बैटरीये का वार्षिक देखरेख एवं रख रखाव करने का कार्य।	4.00
10	प्राधिकरण कार्यालय में लगे इन्टरकॉम संचालन, एवमं रख रखाव का कार्य।	5.00
11	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारे एवं म्युजिकल फव्वारे का रख रखाव एवं सुरक्षा करने का कार्य।	30.00

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक –मुख्यालय परिसर निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।**

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक को मुख्यालय परिसर निर्माण हेतु विवेक विहार योजना के सेक्टर 'एफ' मे 200 फीट गुणा 200 फीट कुल 40,000 वर्ग फीट भूमि व्यवसायिक आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने जरिये पत्र कमांक प. 3(134)नविवि/3/2013 दिनांक 5 जून 2013 द्वारा प्रदान की गयी थी जिसके क्रम मे

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2013 को राशि रूपये 4,83,27,110/– मांग पत्र जारी किया गया था। जिसके कम मे मरूधर ग्रामीण बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा प्रयोजित होने के कारण प्रायोजक बैंक की अनुमति प्राप्त के बाद राशि जमा कराने की प्रकिया का हवाला देते हुए प्रकियात्मक देरी की वजह से राशि जमा कराने की समयावधि बढ़ाने की मांग समय–समय पर की गयी थी उस वक्त प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति भी खराब चल रही थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए आयुक्त महोदय के अनुमोदन से मरूधर ग्रामीण बैंक को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक राशि जमा कराने का समय दिया गया था। तत्प चात् मरूधर ग्रामीण बैंक के पुनः अनुरोध पर खराब वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आयुक्त महोदय के अनुमोदन से राशि जमा कराने की अवधि दिनांक 28 फरवरी 2014 तक पुनः बढ़ायी गयी थी। इसके बावजुद आवेदक संस्था मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा रा‍ि ा जमा नही करवाने पर अंतिम नोटिस दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को जारी कर यह सूचित किया गया कि राशि दिनांक 20 अक्टूबर 2014 तक जमा करायी जावे अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके कम मे आवेदन संस्था मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को राशि रूपये 4,83,27,110/– जमा करवाये गये थे

चूंकि आवंटन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गयी थी, अतः 1 वर्श 42 दिन पश्चात् राशि जमा कराने पर आवंटन करने अथवा आवंटन निरस्त करने संबंधि स्वीकृती निर्णय एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46/आवंटन(दक्षिण)/2015/21 दिनांक 9.1.2015 को संयुक्त शासन सचिव (तृतीय) नगरीय विकास विभाग जयपुर को मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था। जिसके प्रति उत्तर मे संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पत्र कमांक प.3(134)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 9 अक्टूबर 2015 के द्वारा विलम्ब से राशि जमा कराने पर नियमो मे ब्याज व पैनेल्टी लेने का प्रावधान है का उल्लेख किया गया है एंव प्राधिकरण की स्पष्ट अभिशंषा की मांग की गयी है। ऑडिट द्वारा भी आक्षेप लिया गया है कि बैंक को आवंटित भूमि की मूल राशि 1 वर्ष 42 दिन पश्चात् जमा करायी गयी है जिस पर नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी की कुल राशि 1,29,10,809 की वसूली योग्य है।

राज्य सरकार के पत्र कमांक प.3(134)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 29.12.2015 द्वारा कब–कब समय अवधि किस–किस के द्वारा बढ़ायी गयी एवं राज. इर्म्पूवमेन्ट ट्रस्ट (Disposal of Urban Land) रूल्स, 1974 के परिप्रेक्ष्य मे ट्रस्ट/चैयरमेन की भाक्तियों के मध्यनजर तथा ब्याज एवं पेनेल्टी प्रावधानो को देखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्पष्ट राय/ अभिशंषा सहित पुनः प्रकरण को भिजवाया जाने हेतु लिखा गया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रकरण प्राधिकरण की अभिशंषा सहित राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: दैनिक प्रतिनिधि समाचार पत्र के विज्ञापन दर निर्धारण बाबत।

दिनांक 23.09.2013 की प्राधिकरण की बैठक में समाचार पत्रों के विज्ञापन की दरों के निर्धारण के क्रम में राज्य स्तरीय समाचार पत्र के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्वीकृत दरों को आधार मानकर जोधपुर विकास प्राधिकरण में भी इन्ही दरों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

इसी के अन्तर्गत जलतेदीप समाचार पत्र को राज्य स्तरीय का मानते हुए विज्ञापन दर जोधपुर संभाग के लिये 150/–per sq cm निर्धारित की गई। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर के आदेश क्र. 1895–97 दिनांक 14.08.2009 के द्वारा दैनिक प्रतिनिधी समाचार पत्र को जोधपुर संभाग के लिये राज्य स्तरीय समाचार पत्र का दर्जा दिया गया है, जिसकी पुष्टि जोधपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्र. 667–672 दिनांक 30.5.2011 द्वारा की गई।

अतः दैनिक प्रतिनिधी समाचार पत्र को जलतेदीप समाचार पत्र के समकक्ष मानते हुए जोधपुर संभाग के लिये विज्ञापन दर 150/- per sq cm किये जाने बाबत प्रकरण कार्यकारी समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को प्रचलित राजकीय डी0पी0आर0 दर एवं नियमों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर प्रस्ताव उचित निर्णय हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण में 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त संविदा सेवा पर कार्यरत् कार्मिकों की सेवावृद्धि बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11 मार्च 2015 के प्रस्ताव सं. 13 के अनुमोदन के अनुसार प्राधिकरण में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिकों जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31 मार्च 2016 तक प्राधिकरण के कार्य की आवश्यकता के मध्यनजर बढाई गई है। निम्न सेवानिवृत कार्मिको को संविदा सेवा में कार्यावधि दिनांक 31 मार्च 2017 तक बढाये जाने के अनुमोदन बाबत् कार्यकारी समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

क्र.सं	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	पद नाम	जन्म तिथि	65 वर्ष आयु पूर्ण करने की तिथि
1	श्री आनन्दी लाल जोशी	कार्यालय सहायक	08.11.1947	नवम्बर 2012
2	श्री भागीरथ सूर्यवंशी	वरिष्ठ लिपिक	18.12.1947	दिसम्बर 2012
3	श्री राधाकिशन	लिपिक	17.09.1950	सितम्बर 2015

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्मिकों की आवश्यकता एवं कार्यानुभव व कार्यकुशलता को देखते हुए उक्त कर्मचारियों को आऊट सोर्स के माध्यम से प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्त करने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री सुखराज जैन को आवंटित आवासगृह एल/05/302 के संबंध में।

अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 04 ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 14.07.2011 को निकाली गयी थी जिसमें श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री सुखराज जैन को आवास संख्या एल/05/302 आवंटित किया गया था । जिसका आवंटन पत्र दिनांक 08.09.2011 को जारी किया गया था । आवंटन पत्र जारी तिथी से 15 दिवस में 1,00,000/- जमा कराने थे जो प्रार्थी द्वारा रसीद संख्या 9011/34806 दिनांक 18.11.2011 को जमा कराये गये थे जो 56 दिवस देरी से जमा हुए है । आवटन पत्र जारी तिथी से 30 दिवस में 20,000/- जमा कराने थे । जो प्रार्थी द्वारा रसीद संख्या 9001/36148 दिनांक 08.12.2011 को जमा कराये गये थे, जो 61 दिवस देरी जमा हुए है । आवंटन पत्र जारी तिथी से 270 दिवस से अन्तिम किश्त राशि दिनांक 04.06.2012 को होती है । प्रार्थी दिनांक 08.12.2011 से डिफाल्टर है । प्रार्थी द्वारा आवास की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करानें का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखनें का निर्णय लिया गया । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष राशि जमा करवाने के निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण में नियमानुसार राशि जमा करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: श्री छोटू पुत्र श्री बाबूलाल को आवंटित आवास संख्या 72 सेक्टर–सी ग्राम चौखा के संबंध में।

वाम्बे योजना ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25.04.2006 को निकाली गयी थी । जिसमें श्री छोटू पुत्र श्री बाबूलाल को आवास संख्या 72, सेक्टर–सी, ग्राम चौखा में आवास आवंटित किया गया था । आवंटी द्वारा आवास की राशि जमा करवा कर उक्त आवास श्रीमति फातमा पत्नी श्री हाजी अब्दुल रहीम को दिनांक 01.05.2008 को रजिस्ट्रर्ड बैचान कर दिया । कार्यालय द्वारा नाम हस्तान्तरण शुल्क लेते हुए उक्त आवास को श्रीमति फातमा पत्नी श्री हाजी अब्दुल रहीम के नाम हस्तान्तरण कर दिया गया । नाम हस्तान्तरण के पश्चात् लीज–डीड जारी कर दी गयी थी । पट्टा विलेख पर अहस्तान्तरणिय अंकित नहीं था । वर्तमान में उक्त योजना क्षैत्र के पट्टा विलेख अहस्तान्तरणिये जारी किये जा रहे है । चूंकि उक्त आवासों में राज्य सरकार द्वारा सब्सीडी दी गयी है ।

श्रीमति फातमा द्वारा दिनांक 14.10.2015 को लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतू आवेदन करने पर उपायुक्त महोदय के समक्ष उक्त प्रकरण में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र मूल आवंटी के नाम जारी किया जावें अथवा पट्टा विलेख धारक के नाम जारी किया जावें । श्रीमान के निर्देशानुसार प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया । पूर्व में भी समानान्तर प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 4 के बिन्दु संख्या 7 में लिये गये निर्णय अनुसार नाम हस्तान्तरण के धारक के नाम से लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संपूर्ण तथ्यों को राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: श्री सत्यनारायण पुत्र श्री तेजाराम को आवंटित आवास संख्या 247 सेक्टर–ए ग्राम चौखा के संबंध में।

वाम्बे योजना ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25.04.2006 को निकाली गयी थी । जिसमें श्री सत्यनारायण पुत्र श्री तेजाराम को आवास संख्या 247, सेक्टर–ए, ग्राम चौखा में आवास आवंटित किया गया था । आवंटी द्वारा आवास की राशि जमा करवा कर उक्त आवास का दिनांक 22.10.2008 को पट्टा विलेख जारी किया गया था । जिस पर अहस्तान्तरणिय अंकित नहीं था । वर्तमान में उक्त योजना क्षैत्र के पट्टा विलेख अहस्तान्तरणिय जारी किये जो रहे है । आवंटी द्वारा अपना आम मुख्त्यार श्रीमति समीना परवीन पत्नी श्री मोहम्मद यूसुफ को दिनांक 22.08.2008 को नियुक्त किया था । आम मुख्त्यार द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ आम मुख्त्यार की प्रति सलंग्न नहीं की थी ।

प्रार्थीनी जरीये आम मुख्त्यार प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आवास की बैचान अनुमति जारी करने की मांग करने पर उपायुक्त द्वारा प्रकरण को कार्यकारी समिति में निर्णय हेतू रखा गया है । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संपूर्ण तथ्यों को राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: श्री मोनू पुत्र श्री घासीराम को आवंटित आवास संख्या 123 सेक्टर–सी ग्राम चौखा के संबंध में।

वाम्बे योजना ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25.04.2006 को निकाली गयी थी। जिसमें श्री मोनू पुत्र श्री घासीराम को आवास संख्या 123, सेक्टर–सी, ग्राम चौखा में आवास आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र दिनांक 19.04.2007 को जारी किया गया था। आवंटन के पश्चात् प्रार्थी को आवास की एक मुश्त राशि 26,000/– अथवा प्रतिमाह की किश्त 307/–, 156 किश्तों में जमा करवानी थी। आवंटी द्वारा निश्चित समावधि में राशि जमा नहीं करवायी गयी। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2011 के प्रस्ताव संख्या 1 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार आवंटी को राशि जमा करवाने हेतू मांग पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा आवास की राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण राज्य सरकार के पास भिजवाया गया था। राज्य सरकार के पत्र क्रमांकप.1(224)न.वि.वि/जयपुर/2014 दिनांक 20.07.2015 द्वारा आदेश जारी कर दो माह के अन्दर राशि जमा कराने के आदेश प्राप्त हुए थे साथ ही आम सूचना प्रकाशन के आधार पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.09.2015 को एकल खिडकी पर आवास की राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे दिनांक 18.09.2015 को उपायुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। दिनांक 19.09.2015 व 20.09.2015 को राजकीय अवकाश होने के कारण प्रकरण निस्तारित नहीं हो सका। श्रीमान जी के निर्देशानुसार प्रकरण को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण का विधिक परीक्षण कर यदि उक्त प्रकरण में कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियों के तहत राशि जमा की जा सकती है, तो नियमानुसार राशि जमा करवाने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्रीमती उमा माथुर पत्नि स्व. श्री महेशचन्द्र माथुर को आवंटित भूखण्ड संख्या 255 सेक्टर–4, रामराज नगर योजना के संबंध में।

श्रीमति उमा माथुर पत्नी स्व. श्री महेशचन्द्र माथुर को दिनांक 25.07.2008 द्वारा भूखण्ड संख्या 255, सेक्टर–चार, रामराज नगर योजना में आवंटित किया गया था। जिसका माप क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर है। आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थीनी ने रसीद संख्या 0045308 दिनांक 06.10.2008 के जरिये रूपये 39,012/– आवंटन पत्र प्राप्ति दिनांक 08.09.2008 के अनुसार समयावधि में जमा करा दिये है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के अनुसार भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने के कारण अन्तर राशि रूपये 32,686/– व शास्ती की देय राशि 12,228/– कुल रूपये 44,914/– का नोटिस जारी किया गया था। प्रार्थीनी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई है। जिसकी निर्धारित अवधि 30 दिन पत्र प्राप्ती से थी। प्रार्थीनी अब राशि जमा करवाना चाहती है।

प्रार्थीनी श्रीमति उमा माथुर पत्नी श्री महेशचन्द्र माथुर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मुझे आपके कार्यालय का पत्र पत्र क्रमांक 1567 दिनांक 09.07.2010 का मिला था। जिसके अनुसार रूपये 44,914/– न्यास कोष में जमा कराने थें। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण में उक्त राशि समय पर जमा नहीं करा सकी। उक्त प्रकरण में विलम्ब समय 4 वर्ष से ज्यादा होने के कारण उपायुक्त (पश्चिम) महोदय के आदेश अनुसार प्रकरण को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखनें का निर्णय लिया गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण संपूर्ण तथ्यों के साथ राज्य सरकार को मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: दन्तोपंत ढेगडी नगर आवासीय योजना ग्राम चौखा के सडक सीमा में आये हुए भूखण्डों के संबंध में।

दन्तोपंत ढेगडी नगर आवासीय योजना ग्राम चौखा के सडक सीमा में आये हुए भूखण्ड़ो को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 04 अगस्त 2014 के प्रस्ताव संख्या 4(27) के अनुसार दन्तोपंत ढेगडी नगर आवासीय योजना के भूखण्ड़ो को प्राधिकरण की राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगड़ा कलां में शिफ्ट करने का निर्णय लिया जाना था, परन्तु कम्प्यूटर टंकण में दन्तोपंत ढेगडी नगर के दोहरा आवंटन भूखण्ड़ो के बदले मोगड़ा कलां में शिफ्ट करने का निर्णय टंकण हो गया । इस कारण इस प्रस्ताव को पुनः कार्याकारी समिति आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया । कार्यकारी समिति आगामी बैठक दिनांक 17 नवम्बर 2015 के प्रस्ताव 18 के निर्णय अनुसार दन्तोपंत ढेगडी नगर के दोहरा आवंटन के भूखण्ड़ो का आंशिक संशोधन करते हुए दन्तोपंत ढेगडी नगर के सडक सीमा में आये गये भूखण्डो को राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगड़ा कलां में आवंटित करने का निर्णय लिया गया । कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड निम्नानुसार है :–

(1) 20X40 = 88.88 के 6 उपलब्ध हैं, आवंटित 03 करने है जो पर्याप्त है ।

(2) 25X50 = 138.88 वर्गगज के 2 भूखण्ड उपलब्ध है, जबकि 7 भूखण्ड आवंटित करने है, अर्थात 5 भूखण्ड कम है ।

(3) 30X60 = 200 वर्गगज के एक भी भूखण्ड उपलब्ध नहीं है । 04 भूखण्ड इस नाप के उपलब्ध है, जो कॉर्नर है नियमानुसार आवंटित नहीं किये जा सकते है । आवश्यकता 02 भूखण्ड की है ।

राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में इस आकार के भूखण्ड उपलब्ध नहीं है ।

अतः 05 भूखण्ड बनाप 138.88 वर्गगज व 02 भूखण्ड बनाप 200 वर्गगज कर्मचारी कॉलोनी मोगड़ा से रामराज नगर आवासीय योजना में आवंटित किये जाने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमानुसार परीक्षण उपरान्त रामराज नगर योजना में आवंटित किये जावे। भूखण्डों का आवंटन पूर्व में गठित कमेटी द्वारा किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: जी0एस0एस0 33/11 के.वी. खसरा संख्या 224 ग्राम जोईन्तरा में 2 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बावडी द्वारा खसरा संख्या 224 ग्राम जोईन्तरा तहसील बावडी जी0एस0एस0 33/11 के.वी. 2 बीघा भूमि का प्रस्ताव प्राप्त पटवारी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खाली है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नवीन आवंटन नीति के प्रावधानों के तहत 1000 वर्ग मीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: अनुसूचित जाति पूर्व का आवंटन अनुसूचित जनजाति वर्ग में भूखण्ड संख्या बी–31 आवंटन के संबंध में।

श्रीमती सारिका सांखला पुत्री श्री रमेश चन्द द्वारा प्राधिकरण की मण्डलनाथ आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया। भूखण्डों के आवंटन

हेतु निकाली गई लॉटरी में प्रार्थिया का आवेदन अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखने के कारण प्रार्थीया को अनुसूचित जनजाति वर्ग की लॉटरी में भूखण्ड संख्या बी–31 खुला। प्रार्थिया का आवेदन अनुसूचित जाति के स्थान पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में की त्रुटि प्राधिकरण स्तर पर हुई है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रार्थिया को आवंटित भूखण्ड संख्या बी–31 अनुसूचित जाति वर्ग में माना जाकर आवंटन बहाल रख आवंटन–पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: टैक्सी परमीट जीप/बोलेरा/ इण्डिका की किराये पर आपूर्ति की दर स्वीकृति बाबत।

वित्त विभाग, राज जयपुर के परिपत्र F9(1)FD/1 (1) बजट/2015 जयपुर दिनांक 15.7.2015 की दरों पर टैक्सी परमीट जीप/बोलेरो/इण्डिका की किराये पर आपूर्ति की दर संविदा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं	विवरण	1500 कि.मी तक दर	2000 कि.मी तक दर
1	टैक्सी परमीट जीप/बोलेरो/इण्डिका की मासिक दर वर्तमान में प्रचलित	20,000/–	23,625/–
2	सेवाकर दर @ 5.70	1140/–	1347/–
		21,140/–	**24,972/–**

उक्त दरों पर आपको आवश्यकतानुसार प्राधिकरण में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने होगे। वाहन की परिचालन सीमा निम्नानुसार होगी।

(A) <u>1500 कि.मी. तक चलाने वाले अधिकृत अधिकारी</u>

क्र.सं.	अधिकारी	वाहनो की संख्या	वि.वि
1	उपायुक्त	04	प्रशासनिक कार्य हेतु
2	निदेशक वित्त	01	प्रशासनिक कार्य हेतु
3	अतिरिक्त निदेशक वित्त्	01	प्रशासनिक कार्य हेतु
4	निदेशक विधि	01	प्रशासनिक कार्य हेतु
	कुल	07	

(B) <u>2000 कि.मी. तक चलने वाले अधिकृत अधिकारी</u>

क्र.सं.	अधिकारी	वाहनो की संख्या	वि.वि
1	निदेशक आयोजना	01	प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षैत्र का पर्यवेक्षण
2	निदेशक अभियान्त्रिकी	01	प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षैत्र का पर्यवेक्षण
3	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	01	प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षैत्र का पर्यवेक्षण
4	अधीक्षण अभियन्ता	02	अपने–अपने क्षैत्र का पर्यवेक्षण
5	तहसीलदार	04	अपने–अपने क्षैत्र का पर्यवेक्षण
6	अधिशाषी अभियन्ता	14	आवश्यकतानुसार इस वाहन का उपयोग

	(सीविल एवं इलेक्ट्रीक)		सहायक अभियन्ता भी कर सकेगें। अधिशाषी अभियन्ता अपना वाहन परस्पर उपलब्ध करायेगे।
7	क्षेत्रीय वन अधिकारी	01	प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षैत्र का पर्यवेक्षण
8	सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी	02	अपने क्षैत्राधिकारी में निरन्तर पर्यवेक्षण
9	अतिक्रमण निरीक्षक	02	अपने क्षैत्राधिकारी में निरन्तर पर्यवेक्षण
10	पूल के वाहन	3	अपने क्षैत्राधिकारी में निरन्तर पर्यवेक्षण
	कुल	**31**	

उक्तानुसार वाहन उपयोग करने तथा वाहन अनुबंध दरे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार वाहन अनुबंध दरें अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: इंस्टीट्यूट सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया को भूमि आवंटन बाबत।

चीफ एजूकेटीव एवं ऑफिस सिटिगं सेकेटरी इन्सीटीयुट सेकेन्ट्रीज ऑफ इण्डिया की नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत् आवेदन किया गया है जिनका रजि. नं. registered under section80 G (5) (vi) of income tax act 1961 vide letter no DIT (E) 2008-09/I-213/1854 दिनांक–30.09.2008 का प्रस्तुत किया है। संस्थान द्वारा वर्ष 2012–13,2013–14 एवं 2014–15 कि आडीट रिपोर्ट प्रस्तुत कि है संस्थान द्वारा खसरा नं. 643 /644 ग्राम चौखा हेण्डलुम टेक्नोलोजी के पास 2000 वर्ग गज भूमि आंवटन करने का अनुरोध किया है। संस्थान द्वारा नवीन आवंटन निति के तहत् आवेदन शुल्क 5000रू/–की डी.डी. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम प्रस्तुत की है जो रोकड़ शाखा में जमा करा दी है।

उपरोक्त संस्थान को खसरा नं. 643/644 ग्राम चौखा की मौखा रिपोर्ट पटवारी से मगंवाई जाने पर उपरोक्त खसरा में 3033.33 वर्ग गज भूमि रिक्त दर्शाई है अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का नवीन आवंटन नीति के तहत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: पेरोनमा हेतु भूमि आवंटन बाबत।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्ति प्राधिकरण का पत्रांक दिनांक 29/01/2016/के द्वारा अवगत करवाया कि दिनांक 08/01/2015/को प्राधिकरण के अधिकारी श्री मोहन सिंह राजपुरोहित एवं उनके सहयोगी कार्मिक की उपस्थिती में एवं जोधपुर प्रवास के दौरान माननीय अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत के साथ वीर दुर्गादास स्मृति स्थल का संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। दुर्गादास राठौड़ स्मृति स्मारक के सामने की पहाड़ी के स्थल का पेरोनमा हेतु चयन किया गया।

उपरोक्त पेरोनमा हेतु तहसीलदार(पश्चिम) एवं पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उक्त स्थल दोंनो पहाड़ियो पर समतल भूमि है जो रिक्त दर्शाई है। पटवारी द्वारा पत्रावली में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। अतः मसुरिया पहाड़ी पर वीर दुर्गादास स्तृति स्थल के सामने पहाड़ी पर पेरोनमा हेतु भूमि आंवटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी बैठक में निर्णयाथ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का नवीन आवंटन नीति के तहत परीक्षण कर आवेदक संस्था को कितनी भूमि की आवश्यकता है तथा कितनी भूमि उपलब्ध है, का आंकलन कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: जी0एस0एस0 हेतु खाराबेरा पुरोहित में भूमि आवंटन बाबत।

सहायक अभियन्ता(ओ.एम.) जोधपुर विघुत वितरण निगम, लूणी द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन किया गया है। खसरा संख्या 718 ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् मे रकबा 04 बीघा भूमि जी.एस.एस. हेतु आवंटन करने की मांग की है। उपरोक्त खसरा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम है। विघुत विभाग द्वारा राजस्व नक्शे मे चिन्हित भूमि आवंटन करने की मांग की है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में नवीन आवंटन नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत 1000 वर्ग मीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भारतीय स्टेट बैंक यूआईटी ब्रांच में लिफ्ट लगाने के संबंध में।

मुख्य प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यु.आई.टी. जोधपुर ब्रांच द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ब्रांच में लिफ्ट लगाने की अनुमति कि मांग की गई है। बैंक ब्रांच यु.आई.टी. को लीज के आधार पर वर्ष 1980 में तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा दिया गया था। अतः बैंक के ग्राहक को 24 घंटे बैंक सुविधा हेतु ए.टी.एम. ,सी.डी.एम. आदि लगाने एवं दो कमरों का निमार्ण कराने की प्राधिकरण से अनुमति चाही गई है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदक बैंक के स्वयं के खर्चे पर लिफ्ट लगाने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यह लिफ्ट तथा इस संबंध में निर्मित स्ट्रक्चर प्राधिकरण की सम्पत्ति होगी तथा इस पर हुए खर्चे को किराये में समायोजित नहीं किया जावेगा। इस शर्त पर ही यह अनुमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में आवेदक बैंक से सहमति प्राप्त की जावे तथा उसके पश्चात् ही लिफ्ट लगाने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: विभिन्न राजकीय विभागों को भूमि आवंटन बाबत। (जोन पश्चिम)

क्र. सं.	विघालय / उपस्वास्थ्य केन्द्र / जी.एस.एस.	प्रयोजनार्थ	खसरा संख्या	चाहा गया रकबा	भूमि की किस्म	मालिकाना हक
1.	रा.प्रा.विघालय कालबेरिया कॉलोनी गंगाणा रोड़, चौखा	विघालय भवन हेतु	61	3000 वर्ग मीटर	गे. मू. पहाड़	जो.वि.प्रा.
2.	रा.उ. माध्यमिक विघालय बांवरला	विघालय भवनएवं खेल मैदान हेतु	311	4 बीघा	बारानी प्रथम	जो.वि.प्रा.
3.	नव सर्जित ग्राम पचांयत चावण्डा	पचांयत भवन एवं अन्य सरकारी भवन	71	10 बीघा	गे. मू. गोचर	जो.वि.प्रा.
4.	नव सर्जित ग्राम पचांयत महादेव नगर उन्देड़ा(केरू)	पचांयत भवन एवं अन्य सरकारी भवन	646	10 बीघा	गे. मू. भाकर	जो.वि.प्रा.

5.	ग्राम पचांयम जोलियाली में वन्य जीव चौकी	वन्य जीव चौकी	235	5 बीघा	गे. मू. गोचर	जो.वि.प्रा.
6.	ग्राम राजवा पोपावास में उपस्वाथ्य केन्द्र हेतु	उपस्वाथ्य केन्द्र	225	15 बीघा	गे.मू. पहाड़	जो.वि.प्रा.

राज्य सरकार नवीन आवंटन निति 2015 के अनुसार प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विघालय को सम्भागीय मुख्यालय को छोड़कर अधिकतम 3000 वर्ग मीटर एवं माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विघालय को सम्भागीय मुख्यालय को छोड़करं अधिकतक 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है जिसमें खेल मैदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपस्वाथ्य केन्द्र हेतु सम्भागीय मुख्यालय को छोड़कर 4500 वर्ग मीटर तक भूमि आंवटन करने का प्रावधान है। पचांयत भवन एवं अन्य सरकारी भवन हेतु राज्य सरकार की आवंटन निति 2015 मे कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समख प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 3 व 5 के अलावा शेष प्रकरणों को राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: विभिन्न राजकीय विभागों को भूमि आवंटन बाबत। (जोन पश्चिम)

क्र. सं.	विघालय / उपस्वास्थ्य केन्द्र / जी.एस.एस.	प्रयोजनार्थ	खसरा संख्या	चाहा गया रकबा	भूमि की किस्म	मालिकाना हक
1.	ग्राम पचांयत बड़ला नगर	ग्राम पचांयत भवन हेतु	1154 / 2	5 बीघा	गे.मू.ओरण	जो.वि.प्रा.
2.	ग्राम पचांयत जोलियाली	उपस्वाथ्य केन्द्र हेतु	19	2.55 बीघा	गे.मू. आगोर	जो.वि.प्रा.
3.	ग्राम बासनी सेफा(चावण्डा)	उपस्वाथ्य केन्द्र हेतु	267	2.10 बीघा	गे.मू.ओरण	जो.वि.प्रा.
4.	रा.उच्च प्रा. विघालय सिरोड़ी	विघालय भवन एवं खेल मैदान हेतु	40	2 बीघा	गे.मू.ओरण	जो.वि.प्रा.
5.	ग्राम पचांयत डोली	शमसान हेतु	384	10 बीघा	गे.मू.ओरण	जो.वि.प्रा.
6.	ग्राम पचांयत डोली	आबादी विस्तार	320	61.12 बीघा	गे.मू.ओरण	जो.वि.प्रा.
7.	ग्राम पचांयत डोली	आबादी विस्तार	385	100.10 बीघा	गे.मू.लाठा	जो.वि.प्रा.
8.	ग्राम तिंवरी में रा.प्रा. विघालय इन्दों की ढाणी	विघालय भवन हेतु	524	5 बीघा	गे.मू.ओरण	जो.वि.प्रा.

उपरोक्त ग्राम पचांयतों द्वारा विघालय भवन / उपस्वाथ्य केन्द्र / शमसान / आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है। किन्तु उपरोक्त खसरें की भूमि की किस्म ओरण,आगोर एवं लाठा है जो प्रतिबंधित क्षेत्र की श्रेणी में होने से भूमि आवंटन करने हेतु प्राधिकरण द्वारा नितिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत् आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं रखा है तथा शमसान/कब्रिस्तान हेतु नवीन आवंटन नीति 2015 में सम्भागीय मुख्यालय को छोड़कर 4000 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान तो है किन्तु उक्त आवंटन ग्राम पचांयत के नाम किया जाना है एवं आवेदित भूमि की किमत किस दर पर ली जानी है अतः प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन भिजवाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भूमि की किस्म प्रतिबंधित होने से आवंटन नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: विभिन्न राजकीय विभागों को भूमि आवंटन बाबत। (जोन पश्चिम)

नव सर्जित ग्राम पचांयत भवन हेतु खसरा नं. 88 में ग्राम बड़ली में 10 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है उक्त खसरा प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं उक्त खसरे में प्राधिकरण की आवासीय योजना भी स्थित है उपरोक्त योजना में निम्न संस्थाओं को भूमि तत्कालीन नगर विकास न्यास एवं वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आंवटन की गई है।

1. 750 बीघा भूमि मिल्क मैन कॉलोनी में ।
2. 990 बीघा भुमि राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर को।
3. 3000 वर्ग गज भूमि सरस्वती शिक्षण संस्थान को।
4. 8093.44 वर्ग मीटर भूमि सरदार शिक्षण संस्थान को।
5. 5 बीघा भूमि लिविंग ऑफ आर्ट्स संस्थान को।
6. 5 बीघा भूमि कदमखण्डी तिर्थ स्थल को।
7. 62.10 बीघा भूमि 45 बी.आर.टी.एफ. को भूमि आवंटन।
8. 64747.58 वर्ग मीटर भूमि राजस्थान राज्य विघुत निगम को आवंटित है।

पटवारी द्वारा ग्राम बडली की आबादी भूमि से लगती हुई भूमि का मौका देखने पर राजस्व पटवारी द्वारा ट्रेस नक्शा में चिह्नित भूमि रिक्त दर्शाई है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्याकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नवीन आवंटन नीति के अन्तर्गत नवगठित पंचायत को भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: वाहन भत्ता स्वीकृति बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत् पटवारी को अपने क्षैत्राधिकार (385 गांव) जोनवार कार्य करने हेतु, मौका जांच हेतु एवं अतिक्रमण की मौका जांच हेतु जाना पडता है। इस बाबत संबंधित पटवारीगणों द्वारा वाहन भत्ता अभियांत्रिकी शाखा में कार्यरत् अभियन्ताओं को 1500 रूपये दिये जा रहे है। उसी अनुसार उनके द्वारा मांग की गयी है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या 6 (17) में लिये निर्णय अनुसार पटवारियों को भी वाहन भत्ता 1500 रूपये प्रतिमाह दिये जाने की अनुशंषा बाबत प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार वाहन भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त वाहन भत्ता प्राप्त करने वाले पटवारियों को राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं होगा। यह निदेशक–वित्त एवं प्रभारी अधिकारी–पूल सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: विकास कार्यों के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्षैत्रों में सांसद महोदय/राज्यसभा सदस्य/विधायक महोदय/जिला प्रमुख एवं जनप्रतिनिधियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। इस हेतु रूपये 50.00 करोड़ का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त 50.00 करोड़ की राशि में से सांसद महोदय/राज्यसभा सदस्य/विधायक महोदय की अनुशंषा/मांग पर कार्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। अतः कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो स्वीकृतियां जारी की गई है, उन्हें सम्मिलित करते हुए अब मार्च, 2017 तक कुल 50.00 करोड रूपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। उक्त 50.00 करोड रूपये में अब तक जारी स्वीकृतियां भी शामिल रहेगी।

प्रस्ताव संख्या 27 :: "65 वार्ड 65 कार्य योजना" के संबंध में।

जोधपुर के नगर निगम क्षैत्र में महापौर महोदय की अनुशंषा पर 65 वार्डों में 65 कार्य किये जाने प्रस्तावित है। जिसके तहत महापौर महोदय की अनुशंषा पर 65 वार्डों के प्रत्येक वार्ड में रूपये 25.00 लाख तक का विकास कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि महापौर महोदय की अभिशंषा आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर के माध्यम से प्राप्त होने पर 25.00 लाख रूपये के विकास कार्य प्रत्येक वार्ड में स्वीकृत कराने का निर्णय लिया गया। उक्त व्यय की राशि नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित 15 प्रतिशत राशि में से समायोजित होगी।

प्रस्ताव संख्या 28 :: संविदा पर कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु रेस्को द्वारा सुरक्षा गार्ड आपूर्ति के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न शाखाओं तथा राजकीय आवासों पर कार्य करने हेतु संविदा पर उच्च कुशल तथा कुशल श्रेणी के कार्मिकों की आवश्यकता हेतु कुल 55 कार्मिकों की आवश्यकता के मध्य नजर एवं राजस्थान सरकार की संस्थान Rexco के माध्यम से 40 सुरक्षा गार्ड जिनकी उपयोगिता कार्यालय, बरकतुल्ला खां स्टेडियम, मानसागर एवं बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क की सुरक्षा हेतु आवश्यकता के मध्य नजर वर्ष 2016-17 हेतु निम्नलिखित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

क.स.	विवरण	कार्मिक	राशि
1	संविदा कर्मी	55	60.00 लाख
2	सुरक्षा गार्ड	40	55.00 लाख
कुल राशि			**115.00 लाख**

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु भूमि का आवंटन।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26/08/2015 को हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) को ग्राम सर पंचायत समिति सरेंचा के खसरा संख्या 187 रकबा लगभग 580 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु प्रकरण को राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर व्यवसायिक दर पर भूमि आवंटन किये जाने का सर्व समिति से निर्णय लिया गया था।

तत्पश्चात हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पत्र क्रमांक प्लांट/आरईए/आरएम/02 दिनांक 20/1/2016 के द्वारा नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप "अ" एवं चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम सर पंचायत समिति सरेंचा तहसील लूणी के खसरा संख्या 169 रकबा 175.18 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से लगभग 50 एकड़ भूमि नये एलपीजी भराई सयंत्र के आंवटन करने की मांग की गई है। मौके पर उपरोक्त भूमि रिक्त है, एवं राजस्व रिकोर्ड के अनुसार उपरोक्त खसरा 169 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46/आवंटन (दक्षिण)/2016/860 दिनांक 22/2/2016 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मय दस्तावेज को आमजन की टिप्पणी/ आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है, एवं आवेदन शुल्क राशि 5000/– का बैंकर्स चैक संख्या 005714 दिनांक 19/1/2016 का प्राधिरकण कोष में क्लियरिंग किया जा चुका है। अतः प्रकरण/प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में रिट याचिका लम्बित है। अतः निर्णय होने तक प्रकरण को लम्बित रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ले–आऊट प्लान के प्रमाणितकरण के संबंध में।

कार्यालय आदेश क्रमांक :एफ–37/निदे.आयो./ले–आऊट/2016/135–141, दिनांक 01.03.2016 द्वारा यह आदेशित किया गया था कि ले–आऊट प्लान अनुमोदन के ऐसे प्रकरण जिनमें अनुमोदन के साथ सलंग्न नक्शे पर यदि किसी भीं एक कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर है, तो वो भी मान्य होगें, जिसको निदेशक आयोजना व सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। साथ हीं यदि ले–आऊट प्लान कमेटी के कार्यवाही विवरण के साथ सलंग्न नक्शे पर पूर्व में हस्ताक्षर छूट गये है, तो निदेशक आयोजना/उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक द्वारा पूर्व में जारी कार्यवाही विवरण के अनुसार जॉच कर निदेशक आयोजना व सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यालय आदेश को कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर पुष्टि करवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे ले–आऊट प्लान निदेशक–आयोजना एवं संबंधित उपायुक्त के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया जावेगा।

प्रस्ताव संख्या 31 :: अधिवक्ताओं के मानदेय के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा कार्यकारी समिति की दिनांक 20.10.2014 को सम्पन्न बैठक में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालय, राजस्व न्यायालय व अन्य न्यायालयों में पैरवी करने वाले सहायक

अधिवक्ताओं को लम्बित मुकदमों में पेश वकालत नामे के आधार पर मानदेय निर्धारण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके आधार पर मानदेय भुगतान किया जाना सम्भंव नहीं है। इसलिए जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा सहायक अधिवक्ताओं को दिये जाने वाला मानदेय पूर्व की भांति 3,000/–रूपये प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया जाना आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत सहायक अधिवक्ता बालाराम एंव अधिनस्थ न्यायालय में कार्यरत जुगल किशोर सेवग द्वारा सक्रिय रूप से निरंतर कार्य करने के कारण उन्हें फरवरी 2015 से निरंतर 3,000/– मानदेय प्रतिमाह दिया जाना उचित रहेगा तथा शेष सहायक अधिवक्ताओं को इस बैठक में दिये गये निर्णय की तारीख से 3,000/– रूपये प्रमिमाह मानदेय दिया जाना उचित रहेगा। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। निदेशक–विधि सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार ही भुगतान किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 32 :: 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु ग्राम रामनगर (रामपुरा) खसरा सख्या 455 में भूमि आवंटन बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता, (जिला खण्ड), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा ग्राम रामनगर (रामपुरा) के खसरा संख्या 455 में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रामनगर (रामपुरा) के खसरा संख्या 455 रकबा 120–10 बीघा किस्म बारानी–चतृर्थ प्राधिकरण की नाम है तथा विद्युत सब स्टेशन हेतु 2–00 बीघा भूमि उपलब्ध है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नवीन आवंटन नीति के प्रावधानों के तहत 1000 वर्ग मीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु ग्राम दईकडा के खसरा संख्या 34 में भूमि आवंटन बाबत।

अधिशाषी अभियन्ता, (जिला खण्ड), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा ग्राम दईकडा के खसरा संख्या 34 में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दईकडा के खसरा संख्या 114 रकबा 9–09 बीघा किस्म गैर मुमकिन टीबी में जी0एस0एस0 हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन हेतु मांग की है। उक्त खसरा प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा मौके पर आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नवीन आवंटन नीति के प्रावधानों के तहत 1000 वर्ग मीटर भूमि सशुल्क आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

क्रमांक/आवंटन/2015/1802–5/3008-39 दिनांक ::17 मार्च, 2016

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

परिशिष्ट–क

दिनांक 12 मार्च, 2016 को सांय 5.00 बजे श्री (डॉ.) जोगा राम, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री प्रभुलाल धानिया, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (पश्चिम), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
2.	श्री शान्तिलाल व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	श्री डी.के. झा, ए.आर.एम. रीको, जोधपुर
4.	श्री अमिताभ जोशी, ए.आर.एम. रीको, जोधपुर
5.	श्री डूंगरसिंह गहलोत, सहायक पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
6.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री अतुल बल रत्नू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री अनिल माथुर, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड, प्रबन्धक–यातायात, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11.	श्री राजेन्द्रसिंह राठौड, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री नवरतन लाल गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव